भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5616
जिसका उत्तर मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है

पीएसयू द्वारा सीएसआर

5616. श्री राजेश रंजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अन्तर्गत देश में, विशेष रूप से बिहार में, पिछड़े राज्यों/क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास नियमों के संशोधन के माध्यम से विकासात्मक कार्य करने हेतु पीएसयू की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत बिहार सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वृहद क्षेत्रों जैसे कि कौशल विकास, स्वास्थ्य प्रबंधन, वृक्षारोपण, महिला सशक्तीकरण, अवसंरचना, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, आपदा/विपदा प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन, स्वच्छता, खेल-कूद सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्राम एवं समुदाय विकास आदि में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलाप कर रहे हैं।

(ग) और (घ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पिछड़े क्षेत्रों सहित अपने मुख्यालयों और उत्पादन इकाइयों के आस-पास के क्षेत्रों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों का कार्यान्वयन करते हैं।

****